न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/05/2025	2025/153	02.06.2025	02.06.2025

1. शीला मीना पत्नी सुरेश चंद जाति मीना निवासी कॉलोनी ग्राम सैमला, हसनपुर क्षेत्र तहसील व जिला अलवर राज0।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. लोकेश कुमार मीना पुत्र जगदीश नारायण जाति मीना निवासी कॉलोनी, रूपु का बास गुडा चुरानी तहसील व जिला अलवर राज0।

—रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध नामा0 सं0 292 निर्णय दिनांक 05.02.2025 तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर राज0।

उपस्थितः—

01—श्री मूलचन्द चौधरी —वकील अपी0

02—श्री राजबहादुर जांगिड़ —वकील रेस्पो0

—ः<u>निर्णय</u>ः—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरूद्ध तहसीलदार रामगढ़ द्वारा निर्णय दिनांक 05.02.2025 नामान्तकरण संख्या 292 स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज की जाकर रेस्पो0 को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। रेस्पो0 जरिये अभिभाषक उपस्थित। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित राजीनामा इस आशस का पेश किया गया कि अपीलाण्ट एवं रेस्पो0 सं. 1 के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है। मुताबिक राजीनामा के अपीलाण्ट की अपील स्वीकार करने में रेस्पो0 सं. 1 को कोई एतराज नहीं है। अपीलाण्ट एवं रेस्पो0 सं. 1 को राजीनामा पर सुना जाकर तस्दीक किया गया एवं उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार रामगढ द्वारा दिनांक 05—02—2025 को पारित किया गया है जिसकी जानकारी मिन अपीलान्ट को दिनांक 03—03—2025 को हुई उसके उपरांत मिन अपीलान्ट द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई जो अपील दिनांक 23—04—2025 को स्वीकार की गई थी। लेकिन उक्त अपील में नामांतकरण संख्या 292 के स्थान पर अपील में 293 सहबन से त्रुटिवश हो जाने से निर्णय में भी अपील के अनुसार गलत इंतकाल संख्या अंकित हो गया। जिसकी जानकारी मिन अपीलान्ट को उक्त निर्णय की नकल उसी दिन दिनांक 23—04—2025 को प्राप्त होने पर उसके अवलोकन से हुई। जिस पर वकील साहब ने तुरन्त मौजूदा अपील पेश करने की सलाह दी जिससे यह अपील जानकारी की दिनांक 23—04—2025 से अविलम्ब पेश की जा रही है तथा जो देरी हुई है वह उक्त कारण से हुई। इंतकाल आज्ञा दिनांक 05—02—2025 से जानकारी की तारीख दिनांक 23—04—2025 तक का समय धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत माफ किया जाना न्यायहित में आवश्यक है कि जिस हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

मिन अपीलान्टा द्वारा रेस्पाडेन्ट संख्या 1 को आराजी खसरा नम्बर 297/42 रकबा 4.31 हैक्टेयर का 1/2 हिस्सा यानि रकबा 2.1550 हैक्टेयर का 500/2155 हिस्सा यानि 0.50 हैक्टेयर का बेचान जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 05—02—2025 को विक्रय किया गया था।

उक्त बयनामा के आधार पर नामांतकरण संख्या 292 दिनांक 05—02—2025 को स्वीकृत किया गया। उक्त नामांतकरण स्वीकार करते हुए बयनामा का अवलोकन ठीक प्रकार से नही किया और रेस्पाडेन्ट संख्या 1 के हक में नामांतकरण स्वीकार किया वह 100/437 हिस्सा

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

का स्वीकार किया गया है। जबकि मिन अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 297/42 रकबा 4.31 हैक्टेयर का 1/2 हिस्सा यानि रकबा 2.1550 हैक्टेयर का 500/2155 हिस्सा यानि 0.50 हैक्टेयर का बेचान किया गया था और इसी हिस्सानुसार नामांतकरण स्वीकार होना चाहिए। उक्त गलत तौर पर स्वीकार किया गया है जिससे मिन अपीलान्ट के हकूक जायल होने का खतरा है तथा उक्त इंतकाल मिन अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना बयनामा का अवलोकन किये स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में मिन अपीलान्टा उक्त इंतकाल निरस्त कराने की अधिकारी है कि जिस हेतु यह अपील पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश करनिवेदन है कि अपील अपीलान्टा स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू०अ०) रामगढ जिला अलवर की आज्ञा दिनांक 05.02.2025 बाबत नामांतकरण संख्या 292 वाके ग्राम चकमीणापुरा तहसील रामगढ जिला अलवर निरस्त फरमायी जावे और अधिनस्थ न्यायालय को मुताबिक पंजीकृत बयनामा दिनांक 05.02.2025 रेस्पाडेन्ट सं. 1 के हक में नामांतकरण स्वीकार कर नियमानुसार इन्द्राज कराये जाने की कृपा की जावे। आपकी अतिकृपा होगी।

सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2025 के विरूद्व दिनांक 21.05.2025 को पेश की गयी है जो करीब 03 माह 16 दिन के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया व वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ द्वारा दर्ज व स्वीकार नामान्तकरण संख्या 292 दिनांक 05.02.2025 एवं पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 05.02.2025 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा के रेस्पोडेण्ट को आराजी खसरा नंबर 297/42 कुल रकबा 4.31 है0 में से 0.50 हेक्टेयर भूमि का बेचान किया गया था और कब्जा भी 0.50 है0 भूमि पर दिया गया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल तस्दीक व स्वीकार करते समय बयनामा का सही अवलोकन नहीं किया गया जिससे 0.50 है0 की जगह 1.0 है0 का इंतकाल रेस्पो0 के नाम दर्ज व स्वीकार कर दिया गया, जो कि एक विधिक त्रुटि है। पत्रावली में संलग्न अपीलाण्ट व रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना पत्र अनुसार अपी0 व रेस्पो0 के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है तथा रेस्पो0 द्वारा अपील अपी0 स्वीकार किये जाने के संबंध में अनापत्ति जाहिर की है। अतः अपील अपी0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ का आदेश इन्तकाल सं0 292 दिनांक 05.02.2025 को निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 297/42 कुल रकबा 4.31 है0 में से पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 05.02.2025 के अनुसार 0.50 है0 भूमि का रेस्पो0 लोकेश कुमार मीना पुत्र जगदीश नारायण मीना के हक में नियमानुसार नामान्तकरण दर्ज किया जावे। प्रस्तुत राजीनामा मूल निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर
अलवर (राजस्थान)

सेवामें,

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

1— शीला मीना पत्नी सुरेश चन्द मीना निवासी ग्राम सैमला हसनपुर तहसील व जिला अलवर राज. ——अपीलान्ट

बनाम

1— लोकेश कुमार मीना पुत्र श्री जगदीश नारायण मीना जाति मीना मकान संख्या 0 कॉलोनी, रूपू का बास गुड चुरानी क्षेत्र/स्थान रूपु का बास बुड चुरानी, शहर अलवर

2— तहसीलदार (भू0अ0) रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर राज.

——रेस्पाडेन्ट

2/6/25
Reader

अपील विरूद्व आज्ञा तहसीलदार (भू0अ0) रामगढ जिला अलवर दिनांक 05—02—2025 बाबत नामांतकरण संख्या 292 वाके ग्राम चकमीणापुरा तहसील रामगढ जिला अलवर ।

श्रीमानजी,

राजीनामा निम्न प्रकार पेश है:—

1— यह कि उपरोक्त नामांतकरण गलत तोर पर स्वीकृत किया गया है। जिस कारण अपीलान्ट व रेस्पाडेन्ट संख्या 1 के मध्य आपसी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है तथा

Mool-X/656

प्रति ~~आज यह राजीनामा~~
21/6/25 को यह राजीनामा अभिकारक को
से ... ने मेरे समक्ष पेश किया गया।
प्रस्तुत राजीनामा उभय पक्ष को पढ़कर
सुनाया गया। जिस पर उभय पक्ष ने
अपनी स्वेच्छा से सही होना बताया और मुताबिक
राजीनामा आरोप निर्णीत करने का
निवेदन किया गया। उभय पक्ष के राजीनामे
पर हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त दोनों
पक्ष को अधिवक्तागण द्वारा पहचान
की गई। अधिवक्ता द्वारा उक्त
अभिकारक राजीनामा तस्दीक किया
जाता है।

हस्ता०
लोकेश कुमार मीणा

अधि०

जिला कलेक्टर
अलवर (राज०)

मुताबिक राजीनामा अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने में मिन रेस्पाडेन्ट संख्या 1 को कोई एतराज किसी प्रकार का नही है।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि उक्त राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर अपील अपीलान्टान स्वीकार फरमाये जाने की कृपा की जावें।आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थीगण

शीला

शीला मीना पत्नी सुरेश चन्द मीना निवासी ग्राम सैमला हसनपुर तहसील व जिला अलवर राज.

––अपीलान्ट जरिये अधिवक्ता

लोकेश कुमार मीना

लोकेश कुमार मीना पुत्र श्री जगदीश नारायण मीना जाति मीना मकान संख्या 0 कॉलोनी, रूपू का बास गुड चुरानी क्षेत्र/स्थान रूपु का बास बुड चुरानी, शहर अलवर ––रेस्पाडेन्ट सं.1

जरिये अधिवक्ता